संख्या: 2 [illegible]/XXVII(7)/2009 [illegible]

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

वेतन(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनांक 2 जनवरी,2009

विषय:– समयमान वेतनमान स्वीकृति की विसंगति का निराकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा समय–समय पर समयमान वेतनमान के संबंध में निर्गत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही वास्तविक रूप से पदोन्नत हो जाता है, जबकि संवर्ग में उससे कनिष्ठ कार्मिक सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान अनुमन्य होने के पश्चात वहाँ कतिपय मामलों में उपर्युक्त के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो जाता है इस समस्या के निराकरण हेतु सम्यक् रूप से विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय निम्न व्यवस्था करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

"ऐसे मामले में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के लिए अर्ह होने के पूर्व ही पदोन्नत हो गया हो, जबकि कनिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त ऐसे वेतनमान प्राप्त किया हो, के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के समान कर दिया जाय"

2–उपर्युक्त प्रस्तर–1 में की गई व्यवस्था का लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की सेवा की परिस्थितियाँ समान एवं तुलनीय रही हों। साथ ही यदि वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को सेलेक्शन ग्रेड/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभ की अनुमन्यता हेतु अर्ह होता, ऐसे प्रकरण में सेवा पुस्तिका से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कार्मिक की प्रारम्भिक सेवा से तुलना करना अनिवार्य होगा कि कार्यभार ग्रहण की तिथि पर समान वेतनमान के समान सोपान पर वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम नही था,यदि विलम्ब से वरिष्ठ के कार्यभार ग्रहण करने या अन्य सेवा जोड़ने से कनिष्ठ का प्रारम्भिक वेतन निर्धारण अधिक हो तब इसे समान स्थिति नही माना जा सकता ।

3–उपयुक्त प्रस्तर–1/2 के अनुसार की गई व्यवस्था राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगी।

4–शासनादेश सं0–वे0आ0–2–560/दस–45(एम)/99, दिनांक 02–12–2000 तथा उसके क्रम में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

ख्या: ‌/(1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।

2.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।

स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।

सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।

सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।

उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।

देशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।

निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।

गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।